



**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-
LUCKNOW**

PRINT DATE : 13/09/2018

APPLICATION 48375

FILE NO : 218/EE/M CELL/2015

WARD:

SCHEME : T G NORTH NEW CIVIL LINES

PERMIT NO: 42920

SITE OF GROUP HOUSING

SECTOR : T G NORTH NEW CIVIL LINES

PROPERTY 416-A

NAME: SANGRAM SINGH

Address: 539/13 NEW HYDRABAD, LUCKNOW

Sanction vide order dated 24/02/2015 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below

Date of 23/02/2020 or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required:


Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P.

प्रतिबन्ध—

1. अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त में अंकित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफटी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।
3. शासनादेश के क्रम में समस्त भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र का पालन करना होगा एवं स्ट्रक्चर ड्राईंग डिजायन व सार्टिफिकेट एक माह में प्रस्तुत करना होगा।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व आशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
7. खनन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त बेसमेंट का निर्माण किया जायेगा।
8. बेसमेंट का निर्माण कराते समय अगल-बगल की सम्पत्ति की सुरक्षा करनी होगी, किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
9. पार्किंग क्षेत्र में केवल पार्किंग का प्राविधान करना होगा अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. भू-स्वामित्व सम्बन्धी एवं अन्य कोई वाद-विवाद होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. यदि भविष्य में कोई देनदारी होती है तो पक्ष को जमा करना होगा।
11. रोड वाइडेनिंग हेतु छोड़ी गयी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
12. नगर निगम को स्थानान्तरण करना तथा तदोपरान्त क्रियाशील अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
13. प्रस्तुत की गयी आन्तरिक विकास की रिपोर्ट के अनुसार विकास कार्य पूर्ण कराना होगा।
14. दिये गये शपथ पत्र के अनुसार लेबर सेस की धनराशि प्रत्येक वर्ष जमा कर सत्यापित प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
15. यू0 पी0 अपार्टमेंट एक्ट व रेरा के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. स्माग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल को चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्री के पास या तो जल छिडकाव की व्यवस्था की जाये या उन्हे तिरपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
17. भू-स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गडढे न हों तथा उसमें जल-भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
18. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

